

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़,
जिला जयपुर

कैलाश बनाम रामस्वरूप व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्या 52/2022

04-04-2022 प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री राजेश कुमार पारीक ने प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण पेश किया। अन्तरिम आदेश हेतु प्रार्थीगण के अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना गया।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली, जमाबन्दी, का अवलोकन करने तथा दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ़ एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम नेवर तहसील आंधी मे स्थित भूमि खसरा नं. 311 में प्रार्थीगण को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, प्रार्थी के उपयोग उपभोग में दखल नहीं करें, उक्त भूमि की सीमाओं में प्रवेश नहीं करें, ना ही किसी प्रकार का अतिक्रमण करें, किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें, मौके की यथास्थिति बनाये रखे, उक्त कार्य ना तो अप्रार्थीगण स्वयं करें, ना ही अपने परिवारजन, ऐजेन्ट-सर्वेन्ट इत्यादि से करवाये उक्त आदेश पर कोई आपत्ति हो तो न्यायालय हाजा में आगामी तारीख पेशी को पेश करें। पत्रावली दिनांक 28/04/22 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।

28/4/22

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़
दिनांक 28/04/22 को पेश हो।

8/6/22

पत्रावली आज प्रशासन गांवो. के
संग अभियान 2021 केम. 23/1/22
में पेश हुई। रासव पत्रों में सख्मति
नहीं हुई। दिनांक
28/04/22 को पेश हो।

सिविर प्रनारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

२५/०/२२

जजालली जेश डुई। वकील जावई उफा,
मजावईगण आड। वकील जावई करी
तुना गळ जजालली दिनांक २९/०/२२
के पेश है।

२९/०/२२

जजालली जेश डुई। वकील जावई उफा,
जजालली के मल वाट के माविल डिही
किण ज-यक ही मर। मर आल्पा
निजेधारा क कोरि माविल नमीई
मर। जवज के खारिल किण पाल
है। जजालली केवल शुमाए होकर
नखर कि कल है। वाट रूति पाठिल
दफर है।

उपरवा अधिकारी
जमवारागढ़, जिला-जयपुर